रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10072021-228226

CG-DL-W-10072021-228226

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 27 - जुलाई 3, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 6 - आषाढ़ 12, 1943

No. 21] NEW DELHI, JUNE 27 - JULY 3, 2021, SATURDAY/ ASHADHA 6 - ASHADHA 12, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के सहायक महारजिस्ट्रार(मानचित्र) समूह "क" पद भर्ती नियमों 2011 के अधिक्रमण में, इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या छोड़े गए किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त, राष्ट्रपति भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय में, सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र), पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैः-

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Chairman; 2.Deputy Director/Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; 3.Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska -Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/29/2018-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उसका संबंध लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, लेखाकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेशद्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखाकार	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है|	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100रु) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होनें उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे.—** 1.अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - अध्यक्ष; 2.उपनिदेशक, या सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू – सदस्य; 3.सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य; 4.प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/06/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 65.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as it relates to the post of Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare,Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Accountant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accountant	01*(2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group –'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerk in level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Deputy Director or Assistant Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member; 3. Assistant Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member; 4. Administrative Officer,Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/06/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपुट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 जहां तक इसका संबंध ड्राइवर पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान,चेंगलपट्टू में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	01*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 - 63200रु.)	लागू नहीं होता ।	18 और 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:-**आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख और अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मोटर कार के लिए मान्य ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजनके लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारा । सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:

(ii) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान के साधारण दोष को ठीक करना आना चाहिए)। (iii) कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार के ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए; और (iv) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास होना चाहिए। **वांछनीय :** होमगार्ड या सिविल स्वंयसेवक के रुप में तीन वर्ष की सेवा किया हो। **टिप्पण 1.** सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता को शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2** :-अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900रु.) में नियमित प्रेषण राइडर (समूह ग) और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो मोटरयान चलाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो जिसके न हो सकने पर नियमित आधार पर प्रेषण राइडर के पद धारण करने वाले में से, या केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयों में से वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) के नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तम्भ (7) में यथा वर्णित आवश्यक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिसमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1.उपनिदेशक,(एपीडीमीऔलाजी), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - अध्यक्ष 2.सहायक निदेशक (एपीडीमीऔलाजी), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य; 3.सहायक निदेशक, (सूक्ष्मजीवविज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू -सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सेवा निवृत्ति के कारण सशस्त्र बल कार्मिक या जो एक वर्ष के अन्दर रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाते हैं और विहित अपेक्षित अनुभव एवं अर्हता रखते हों, पर विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र बल से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी; इसके पश्चात वे पुनर्नियोजन पर रह सकेंगे। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/08/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade), the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Staff Car Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Post Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Ordinary Grade).	01* (2021) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle). (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10th class pass from a recognised Board. **Desirable:** Three years' service as Home guard or Civil volunteer. **Note 1**: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruit or re-employed	Direct recruitment failing which by deputation/ absorption. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in Central Leprosy Teaching and Research Institute who possess valid driving license for Motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive Motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnels:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Assistant Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute,Chengalpattu - Member; 3. Assistant Director (Microbiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/08/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

सा.का.नि. 67.—केंद्रीय सरकार, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के साथ